कार्यालयः– जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म0प्र0)

// विविध कार्यालयीन आदेश //

कमांक. क्यू. 2/2020 कटनी दिनांक 06.04.2020

माननीय उच्चतम न्यायालय के Suo Motu Writ Petition (Civil) No 1/2020 dt 23-03-2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के ज्ञापन क. REG(IT) (SA)/2020/Q Dt. 04-04-2020 के तारतम्य में Information Technology के अधिकतम उपयोग हेतु जिला न्यायालय परिसर कटनी, में स्थित वी.सी. कक्ष तथा संबंधित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय कक्ष तथा तहसील न्यायालय विजयराघवगढ, बरही एवं ढीमरखेडा मे निम्नानुसार वी.सी. आदि के माध्यम से आवश्यक प्रकरणो की सुनवाई हेतु नियत किया जाता है जहॉ पर अधिवक्ता/पक्षकार वी.सी. के माध्यम से पीठासीन अधिकारी से उनके न्यायालय कक्ष में प्रकरण की सुनवाई में भाग ले सकते है। वैकल्पिक रूप से संभावित तकनीकी की त्रुटियो को त्रुटिगोचर रखते हुये एवं संबंधित पक्षकारो, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण व न्यायाधीशगणो की कोरोना संकमण के खतरे को देखते हुये आवश्यक प्रकरण की सुनवाई हेतु निम्नलिखित व्यवस्था नियत की गई है :–

1. समस्त अधिवक्तागण/पक्षकारगण को निर्देशित किया जाता है कि अति आवश्यक प्रकरणो की सुनवाई से संबंधित दस्तावेज सहित शपथ पत्र व अन्य संबंधित दस्तावेजो को ई–मेल के माध्यम से जिला न्यायालय कटनी की ई–मेल आई.डी. dcourtkat-mp@nic.in / संबंधित सिस्टम ऑफिसर के व्हाट्सअप नम्बर पर प्रेषित किये जा सकते है।
2. इस संदर्भ में यह भी निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार प्रस्तुत आवेदन पत्र में आवश्यक रूप से अपना व्हाट्सअप नम्बर अंकित करे जिसके फलस्वरूप प्रकरण की सुनवाई वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सिस्टम ऑफिसर श्री रामकिशोर मिश्रा, के व्हाट्सअप न. 8989608892 एवं श्री दीपक राजपूत, सहायक सिस्टम ऑफिसर के व्हाट्सअप न 9300631713 (जिला न्यायालय कटनी में विचाराधीन प्रकरणो के संबंध में)

एवं

श्रीकांत झा, सहायक सिस्टम ऑफिसर के व्हाट्सअप न. 8982633837
<u>(तहसील विजयराघवगढ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणो की दशा में)</u>

एवं

श्री पंकज, सहायक सिस्टम ऑफिसर के व्हाट्सअप न. 7224016460, 8602118311
<u>(तहसील बरही न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणो की दशा में)</u>

एवं

श्री पंकज दुबे, सहायक सिस्टम ऑफिसर के व्हाट्सअप न. 7987194847
<u>(तहसील ढीमरखेडा न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणो की दशा में)</u>

पर की जा सकती है जो पीठासीन अधिकारी से Conference Calling Facility के माध्यम से संबंधित प्रकरण की सुनवाई करवा सकते है। सुनवाई का समय न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय मे अपरान्ह पश्चात समय 3:00 बजे से 5:00 बजे तक एवं अपर सत्र न्यायालय में अपरान्ह पश्चात समय 4:00 से 5:00 बजे तक नियत किया गया है।

3. इस संदर्भ में अधिवक्तागण को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रस्तुत आवेदन पत्र में इस **Undertaking** का भी उल्लेख करे कि वे सामान्य परिस्थिति होने के पश्चात पूर्व में प्रस्तुत आवेदन सहित समस्त दस्तावेजो की मूलप्रति संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

4. अधिवक्तागण / पक्षकारगण को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त सीमित समयावधि में केवल सिस्टम ऑफिसर को ही संपर्क करे तथा किसी भी दशा में वे संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को सीधे फोन अथवा अन्य माध्यम से संपर्क न करें।

न्यायाधीशगण के निवास स्थान से Video Conferencing/ Vidyo application के माध्यम से कार्य करने की संभावना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही उपरांत यथाशीघ्र प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत किया जावेगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी म0प्र0

पृष्ठांकन क्र.क्यू.3 / 2020
कटनी दिनांक 06.04.2020

प्रतिलिपि:–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जलबपुर।
2. समस्त न्यायाधीशगण जिला न्यायालय कटनी/ तहसील न्यायालय, बरही /ढीमरखेड़ा/विजयराघवगढ जिला कटनी।
3. अध्यक्ष, तदर्थ समिति जिला अधिवक्ता संघ/ अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, बरही/ विजयराघवगढ/ढीमरखेडा जिला कटनी ।
4. सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता कटनी ।
5. संबंधित सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय कटनी/तहसील न्यायालय, बरही/ ढीमरखेड़ा/विजयराघवगढ जिला कटनी को आदेश की प्रति जिला न्यायालय की वेवसाईट पर अपलोड करने एवं अधिवक्तागणं को व्हाट्सअप के माध्यम से ग्रुप पर प्रेषित करने हेतु।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी म0प्र0